*अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 2026 के सप्ताह भर चलने वाले समारोह के उद्घाटन पर संबोधन**

श्री संजय मल्होत्रा

आप सभी के बीच आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हम उस सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं जिसकी 27 तारीख को अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस मनाया जाएगा।

एमएसएमई का मेरे दिल में एक विशेष स्थान है। मुझे अपने करियर की शुरुआत में, वर्ष 2000 में इस बहुत ही गतिशील क्षेत्र में काम करने का मौका मिला था, जब इस क्षेत्र के लिए 1999 में ही एक समर्पित मंत्रालय की स्थापना की गई थी। तब इसे एसएसआई और एआरआई मंत्रालय के रूप में जाना जाता था।

एमएसएमई क्षेत्र वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया भर में, एमएसएमई कुल व्यवसायों का 90 प्रतिशत हिस्सा हैं और कुल वैश्विक रोजगार में लगभग 50 प्रतिशत का योगदान करते हैं। भारत में भी इनका योगदान बहुत बड़ा है। यहाँ मौजूद एमएसएमई उद्यमी, भले ही व्यक्तिगत रूप से छोटे हों, लेकिन सामूहिक रूप से जीडीपी में इनका 31 प्रतिशत का हिस्सा हैं, विनिर्माण उत्पादन का लगभग 35 प्रतिशत हिस्सा हैं, और भारत के माल निर्यात[1] का लगभग आधा हिस्सा हैं, साथ ही 32 करोड़ से अधिक लोगों की आजीविका का साधन भी हैं[2]। ये केवल आँकड़े नहीं हैं, बल्कि हमारे एमएसएमई की महत्वाकांक्षा, गतिशीलता और उद्यमशीलता का प्रमाण हैं।

कोई भी शहर एमएसएमई की गतिशील और जीवंत भावना को कोच्चि से बेहतर नहीं दर्शाता है। यह एक ऐसा शहर है जहाँ व्यापार की समझ बहुत गहरी है – सदियों से, केरल के तटों को दुनिया से जोड़ने वाला मसालों का व्यापार इसी बंदरगाह से होकर गुजरता था। वही भावना अब 'गॉड्स ओन कंट्री' में पर्यटन में; आयुर्वेद और कल्याण उद्यमों जिन्होंने पारंपरिक ताकत को आधुनिक उद्योग में बदल दिया है; आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्यमों; समुद्री और समुद्री खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में जो दुनिया भर के निर्यात बाजारों को आपूर्ति करती हैं; और फिनटेक से लेकर अमिश्रित ऊर्जा समाधानों जैसे विविध क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्टार्ट-अप और उद्यमियों की नई पीढ़ी में दिखाई देती है। कोच्चि के एमएसएमई व्यापार और उद्यम की सदियों पुरानी भावना को आगे बढ़ा रहे हैं।

मुझे हमारी अर्थव्यवस्था के लिए इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र पर, और ऐसे शहर में बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद, जो स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र की भावना को दर्शाता है।

रिज़र्व बैंक की नीतिगत पहल

भारतीय रिजर्व बैंक में हम मानते हैं कि 'विकसित भारत' का हमारा सपना न केवल हमारे महानगरों और बड़े उद्योगों में, बल्कि देश के हर ज़िले और राज्य में आप जैसे एमएसएमई द्वारा चलाए जा रहे कार्यशालाओं, कारखानों और सेवा उद्यमों में भी पूरा होगा। हमारा मानना है कि जो वित्तीय प्रणाली अपने सबसे छोटे और सबसे ज़्यादा संख्या वाले हिस्सेदारों को अच्छी तरह से सेवा नहीं देती, वह असल में अर्थव्यवस्था की भी ठीक से सेवा नहीं कर रही है। हम समझते हैं कि अगर हमें आगे बढ़ना है, तो हमें सबको साथ लेकर चलना होगा, खासकर सबसे छोटे लोगों को। हम मानते हैं कि यह क्षेत्र उद्यमिता की नर्सरी है जो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

हम इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के विकास में सहायक भूमिका निभा रहे हैं। आइए, मैं कुछ विनियामक उपायों को सूचीबद्ध करना चाहता हूं जिन्होंने भारत में एमएसएमई के लिए वित्त तक पहुंच का विस्तार करने में सुविधाजनक भूमिका निभाई है।

- पहला, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण वर्गीकरण में सूक्ष्म उद्यमों के लिए एक समर्पित उप-लक्ष्य के साथ सभी एमएसएमई ऋणों को शामिल किया गया है, जो इस क्षेत्र के सबसे वंचित वर्ग को निर्देशित ऋण प्रवाह सुनिश्चित करता है।
- दूसरा, हमने बैंकों के लिए एमएसई को छोटी राशि के लिए संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करना अनिवार्य किया है। एमएसएमई के लिए संपार्श्विक-मुक्त ऋण की सीमा हाल ही में ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख कर दी गई है। लगातार वित्तीय ट्रैक रिकॉर्ड दिखाने वाले व्यवसायों के लिए इसे ₹25 लाख तक बढ़ाया जा सकता है।

* 22 जून, 2026 को कोच्चि, केरल में आयोजित अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 2026 के सप्ताह भर चलने वाले समारोह के उद्घाटन पर भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा का संबोधन।

[1] आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26।

[2] 11 जून, 2026 तक उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर मौजूद डेटा।

- तीसरा, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के माध्यम से, हमने सरकार के साथ मिलकर एमएसई के लिए गारंटी कवर काफ़ी बढ़ाया है। यह गारंटी उस जोखिम की धारणा को कम करती है जिसके कारण बैंकों को छोटे उधारकर्ताओं को ऋण देने के बारे में ऐतिहासिक रूप से सतर्क कर दिया है जो संपार्श्विक प्रदान करने में असमर्थ हैं। इसके अलावा, एमएसई ऋणों के सीजीटीएमएसई-गारंटीकृत हिस्से पर पूंजीगत शुल्क के लिए शून्य जोखिम भार बैंकों के लिए उन उद्यमों को ऋण देने के लिए सार्थक पूंजी प्रोत्साहन उपलब्ध कराता है जो ऋण योग्य हैं लेकिन संपार्श्विक-कमी वाले हैं।
- चौथा, हमने ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम को सक्षम किया। यह एमएसएमई को एक पारदर्शी प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर चालान में छूट देकर अपनी प्राप्तियों को तत्काल नकदी में बदलने की सुविधा देता है। हमने उस सीमा को लगातार कम किया है जिस पर बड़े खरीदारों को टीआरईडीएस पर शामिल होने की आवश्यकता होती है। मैं इस कमरे में मौजूद हर उस उद्यम से आग्रह करूंगा जिसने अभी तक ऐसा नहीं किया है, वे पंजीकरण करें और अपने खरीदारों को भी ऐसा करने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करें।
- पांचवां, हमने एमएसई के लिए सरल कार्यशील पूंजी मानदंड लागू किए हैं जिससे उन्हें वित्त प्राप्त करने में आसानी हो।
- छठा, एनबीएफसी ऑन-लेंडिंग और सह-लेंडिंग व्यवस्था के लिए पीएसएल मान्यता मिलने से उन संस्थागत माध्यमों का दायरा बढ़ा है जिनके ज़रिए एमएसएमई ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
- सातवाँ, हमने अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क को सक्षम बनाया है। इसने वित्त वर्ष 2025-26 में 3.5 लाख करोड़ रुपये तक ऋण देने की सुविधा प्रदान की है और इसमें कई गुना बढ़ने की क्षमता है।
- आठवाँ, हाल ही में, हमने वाणिज्यिक बैंकों को व्यक्तियों और एमएसई को दिए गए फ्लोटिंग-रेट ऋणों पर पूर्व-भुगतान शुल्क लगाने से रोक दिया है, भले ही पुनर्भुगतान निधि का स्रोत कुछ भी हो।
- और भी बहुत कुछ है।

इस क्षेत्र के साथ संरचित जुड़ाव

इसके अलावा, एक विनियामक के तौर पर और राष्ट्र निर्माण के हमारे साझा लक्ष्य में एक भागीदार के रूप में, हम यह भी महसूस करते हैं कि सभी हितधारकों के साथ निरंतर जुड़ाव आवश्यक है। हमारे कुछ विनियामक उपाय वास्तव में आपसे प्राप्त मूल्यवान अंतर्दृष्टि और सुझावों का परिणाम हैं। इसलिए, हमने एमएसएमई के साथ संरचित जुड़ाव के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया है। हमारे क्षेत्रीय कार्यालय एमएसएमई टाउन हॉल बैठकें आयोजित कर रहे हैं, जो उद्यमियों, ऋणदाताओं और इकोसिस्टम हितधारकों के साथ सीधे संवाद के लिए एक समर्पित मंच प्रदान करते हैं। मैं भी समय-समय पर एमएसएमई संघों से मिलता हूं।

हम अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से एनएएमसीएबीएस[3] का एक विशेष क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बैंकरों को एमएसएमई क्षेत्र के ऋण संबंधी मुद्दों के सभी पहलुओं से परिचित कराना और उनके बीच उद्यमशीलता के प्रति समझ विकसित करना है।

इसी क्रम में, हमने एमएसएमई वित्तपोषण और दबावग्रस्त एमएसएमई के समाधान में प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए एमएसएमई पर अधिकार प्राप्त समितियों (ईसी-एमएसएमई) का गठन किया है। हमने हाल ही में, इस बैठक की कार्यसूची मदों को विस्तृत करते हुए कई ज़रूरी मुद्दों को शामिल किया है, ताकि क्रेडिट लिंकेज की निगरानी और एमएसएमई क्रेडिट आवेदनों के लंबित होने जैसे विभिन्न प्रासंगिक मदों को शामिल किया जा सके। ये उपाय, भले ही कितने भी छोटे लगें, लेकिन पूरे पारितंत्र पर परिवर्तनकारी प्रभाव डाल सकते हैं।

एक मज़बूत भविष्य का निर्माण

मुद्रा और सीजीटीएमएसई जैसी कई सरकारी योजनाओं के साथ-साथ हमारे विनियामक और सुविधाजनक उपायों से एमएसएमई को मिलने वाले औपचारिक ऋण में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। नतीजतन, 31 दिसंबर 2025 तक एमएसएमई क्षेत्र को एससीबी द्वारा दिया गया बकाया ऋण ₹36.79 लाख करोड़ था जिसमें पिछले पाँच वित्तीय वर्षों के दौरान लगभग 15 प्रतिशत की अच्छी सीएजीआर रही। केरल राज्य में भी, पिछले पाँच वित्तीय वर्षों में एमएसएमई को एससीबी द्वारा दिए गए ऋण में 13.5% की अच्छी सीएजीआर से बढ़ोतरी हुई जिसमें 31 दिसंबर, 2025 तक 1 लाख करोड़ रुपये का ऋण बकाया था।

3 एमएसएमई क्षेत्र को वित्तपोषण के लिए बैंकरों की क्षमता निर्माण हेतु राष्ट्रीय मिशन।

हालाँकि इसमें काफ़ी प्रगति हुई है, लेकिन मैं यहाँ खड़े होकर यह नहीं कहूँगा कि हमने क्रेडिट गैप को पूरी तरह भर दिया है। लेकिन मैं निश्चित रूप से यह कहूँगा कि हमने पिछले कुछ वर्षों में एमएसएमई क्षेत्र की वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने में काफ़ी प्रगति की है। मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि हमने इस अंतर का एक बड़ा हिस्सा भर दिया है। इसके अलावा, हमने इस अंतर को तेज़ी से भरा है। पिछले पाँच वर्षों में एमएसएमई को प्रदत्त बैंक ऋण 15 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ा, जबकि इसी अवधि में कुल बैंक ऋण 13.7 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ा।

इसके साथ ही, हम रुकावटों को दूर करके ऋण प्रवाह को सुचारू बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। इस दिशा में 'यूनिफ़ाइड लेंडिंग इंटरफ़ेस' का विकास एक ऐसा ही उदाहरण है। मैं एक ऐसी मिसाल देता हूँ जो आप में से कई लोगों को समझ आएगी: जैसे यूपीआई ने इस देश में पैसे के लेन-देन के तरीके को जैसे तुरंत, डिजिटल रूप से और बिना किसी रुकावट के रूप में बदल दिया है, वैसे ही हम मानते हैं कि यूनिफ़ाइड लेंडिंग इंटरफ़ेस में भी देश में ऋण पाने के तरीके को बदलने की क्षमता है।

यूएलआई ऋणदाताओं को डिजिटल डेटा जैसे जीएसटी फ़ाइलिंग, बैंक विवरण, उपयोगिता रिकॉर्ड, ज़मीन के रिकॉर्ड आदि की मदद से एमएसएमई उधारकर्ता का आकलन करने की सुविधा देता है। यह डेटा उधारकर्ता की सहमति से एक ही इंटरफ़ेस के ज़रिए इकट्ठा किया जाता है, न कि हफ़्तों की कागजी कार्रवाई और भौतिक सत्यापन के माध्यम से। जिस उद्यम का ऋण इतिहास कमज़ोर है लेकिन व्यवसाय वास्तव में मज़बूत है, उसके लिए यह परिवर्तनकारी कदम है: यह आपको अपने व्यवसाय को सच्ची और वर्तमान स्थिति के आधार पर तेज़ी से और बहुत कम रुकावटों के साथ आंका जाने का मौका देता है।

हम सभी हितधारकों के साथ यह सुनिश्चित करते हुए काम करना जारी रखेंगे कि एमएसएमई की वित्त से जुड़ी ज़रूरतें पूरी हों। इस सफ़र में हम आपके साथ हैं। हम आपके विकास और समृद्धि के लिए एक अनुकूल वित्तीय प्रणाली बनाने का प्रयास करना जारी रखेंगे। इस सिलसिले में, मुझे उम्मीद है कि हमारे वित्तीय संस्थान कई तरह से आगे बढ़कर काम करेंगे।

पहला, वित्तीय संस्थान चाहे सरकारी हों या निजी, उसे हमारे बेहतरीन डीपीआई स्टैक में निवेश करना चाहिए जिसमें अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क, यूएलआई, टीआरईडीएस, जीएसटी डेटा ट्रेल्स और आधार-सक्षम प्रमाणीकरण शामिल हैं। इससे एक ऐसा क्रेडिट इकोसिस्टम बनाने में मदद मिलेगी जो मौलिक रूप से अधिक समावेशी हो।

दूसरा, उन्हें प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, मुद्रा, पीएम-स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा, एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लानी चाहिए।

तीसरा, हम बैंकों और ऋण देने वाले संस्थानों से उम्मीद करते हैं कि वे अपने दृष्टिकोण में एक मौलिक बदलाव अपनाए। एमएसएमई को केवल एक विनियामक दायित्व के रूप में नहीं बल्कि दीर्घकालिक व्यापार भागीदारों के रूप में माना जाना चाहिए, जिनकी लगातार वृद्धि से दीर्घावधि वित्तीय लाभ और व्यापक सामाजिक मूल्य प्राप्त होते हैं। डिजिटल डेटा पर आधारित रिलेशनशिप बैंकिंग प्रौद्योगिकी से चलने वाले ऋण वितरण के लिए एक शक्तिशाली और मानवीय पूरक हो सकती है।

इसी तरह, मैं एमएसएमई से भी अपेक्षा करता हूं कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं। एमएसएमई से मेरा आग्रह सरल और सीधा है।

पहला, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं विकास और नवाचार में निवेश करके अपने तरक्की की ज़िम्मेदारी खुद लें क्योंकि उपभोक्ता प्राथमिकताएं और अपेक्षाएं विकसित होती हैं।

दूसरा, हमारे सभी उपकरणों के माध्यमों जैसे टीआरईडीएस, यूएलआई, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क, सह-ऋण, आदि से हमारे साथ सक्रिय रूप से जुड़ें जो हमारी सभी संस्थाओं जैसे बैंकों और एनबीएफसी के माध्यम से आपके लिए बनाए गए हैं तथा अपनी समस्याओं को हमारे टाउनहॉल जैसे मंचों तक लाना जारी रखें। सरकारी योजनाओं का लाभ केवल यूआरसी के तहत पंजीकृत इकाइयों के लिए ही उठाया जा सकता है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि पंजीकरण करें जो पूरी तरह से ऑनलाइन और मुफ़्त है तथा इसके लिए पैन और आधार की ज़रूरत होती है।

तीसरा, मैं इस बात पर भी प्रकाश डालना चाहूंगा कि व्यवसाय विश्वास की नींव पर खड़े होते हैं। अपने हितधारकों जैसे लेनदारों, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों के साथ संबंध बनाना और उन्हें बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जिस तरह ग्राहकों के साथ लंबे समय तक जुड़ाव के लिए विश्वास बनाने हेतु गुणवत्ता और समय पर डिलीवरी आवश्यक है; जिस तरह विश्वसनीय आपूर्तिकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं के विश्वास को बनाए रखने के लिए अनुबंधों का पालन करना महत्वपूर्ण है; इसी तरह, वित्तदाताओं के विश्वास को पाने और बनाए रखने के लिए औपचारिकता, डिजिटल तकनीक अपनाना और वित्तीय अनुशासन महत्वपूर्ण हैं।

रिज़र्व बैंक की बात करें तो, आपके प्रति हमारी प्रतिबद्धता भी उतनी ही सरल है: हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते रहेंगे, रुकावटें कम

करते रहेंगे और इस क्षेत्र के बढ़ने के साथ-साथ आपके साथ बने रहेंगे।

आज, जब हम एमएसएमई दिवस के करीब हैं, तो आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम न केवल वर्ष में एक बार इस क्षेत्र के योगदान को याद करें, बल्कि हर दिन एक ऐसी वित्तीय प्रणाली का निर्माण करते रहें जो आपके उद्यम और आपके द्वारा लाए गए लचीलेपन के योग्य हो। मैं, इस हॉल में मौजूद प्रत्येक उद्यमी और देश भर के आप जैसे लाखों लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप हर दिन अक्सर चुपचाप, बिना किसी खास इनाम या मान्यता के जो कुछ भी बनाते हैं, उसके लिए मैं आपकी सराहना करता हूँ।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं।